



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092025-266245
CG-DL-E-18092025-266245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/भाद्र 27, 1947

No. 609]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 681(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 641 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के -

- पृष्ठ 2, पंक्ति 10 में, "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले " पढ़ें;
- पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में, "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले " पढ़ें ;
- पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में, "पनीर, छेना या पनीर के अलावा" के स्थान पर, "चीज़, छेना या पनीर के अलावा" पढ़ें ;
- पृष्ठ 4, पंक्ति 11 में, "साथी " के स्थान पर, "मेट" पढ़ें;
- पृष्ठ 17, पंक्ति 39 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की " के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

- (vi) पृष्ठ 22, पंक्ति 28 में, “2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक मूल्य के जूते” के स्थान पर, “जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो” पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 38, पंक्ति 35 में, “[रबर, रबर बैंड के अलावा]” के स्थान पर, “[इरेज़र, रबर बैंड के अलावा]” पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 39, पंक्ति 29 में, “6 मिमी से अधिक मोटाई की ” के स्थान पर, “6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं” पढ़ें;

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 682(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 642 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के,-

- (i) पृष्ठ 2, पंक्ति 11 में, “सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा” के स्थान पर “सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले ” पढ़ें
- (ii) पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में, “सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा” के स्थान पर “सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले ” पढ़ें
- (iii) पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में, “पनीर, छेना या पनीर के अलावा” के स्थान पर, “चीज़, छेना या पनीर के अलावा” पढ़ें ;
- (iv) पृष्ठ 4, पंक्ति 33 में, “साथी ” के स्थान पर, “मेट” पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 23, पंक्ति 5 में, “6 मिमी से अधिक मोटाई की ” के स्थान पर, “6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं” पढ़ें;
- (vi) पृष्ठ 29, पंक्ति 18 में, “2500 रुपये प्रति जोड़ी से कम मूल्य के जूते” के स्थान पर, “जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो” पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 49, पंक्ति 7 में, “[रबर, रबर बैंड के अलावा]” के स्थान पर, “[इरेज़र, रबर बैंड के अलावा]” पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 50, पंक्ति 8 में, “6 मिमी से अधिक मोटाई की ” के स्थान पर, “6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं” पढ़ें;

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 683(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- संघराज्य कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 646 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के,-

- (i) पृष्ठ 2, पंक्ति 11 में, "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले " पढ़ें
- (ii) पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में, "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले " पढ़ें
- (iii) पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में, "पनीर, छेना या पनीर के अलावा" के स्थान पर, "चीज़, छेना या पनीर के अलावा" पढ़ें ;
- (iv) पृष्ठ 4, पंक्ति 33 में, "साथी " के स्थान पर, "मेट" पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 22, पंक्ति 27 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की " के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;
- (ix) पृष्ठ 29, पंक्ति 5 में, "2500 रुपये प्रति जोड़ी से कम मूल्य के जूते" के स्थान पर, "जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो" पढ़ें;
- (vi) पृष्ठ 49, पंक्ति 28 में, "[रबर, रबर बैंड के अलावा]" के स्थान पर, "[इरेज़र, रबर बैंड के अलावा]" पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 50, पंक्ति 31 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की " के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 684(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025- केंद्रीय कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 660(अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के,-

- (i) पृष्ठ 6, पंक्ति 37 में, " रबर " के स्थान पर " इरेज़र" पढ़ें
- (ii) पृष्ठ 8, पंक्ति 26 में, "पूजा सामग्री अर्थात:-, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊ;,, पंचामृत,, विभूति,,बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका" के स्थान पर,

"पूजा सामग्री अर्थात:-

- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);
- (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);

- (iii) लकड़ी की खड़ाऊ;
- (iv) पंचामृत;
- (v) विभूति;
- (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
- (vii) दीये की बाती;
- (viii) रोली ;
- (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
- (x) चंदन टिका" पढ़ें;

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 685(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025- एकीकृत कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 661(अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के-

- (i) पृष्ठ 27, पंक्ति 37 में, "2.5%" के स्थान पर "5%" पढ़ें
- (ii) पृष्ठ 32, पंक्ति 23 में, " रबर " के स्थान पर " इरेज़र" पढ़ें
- (iii) पृष्ठ 34, पंक्ति 11 में, "पूजा सामग्री अर्थात:-, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊ;, पंचामृत,, विभूति,,बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका" के स्थान पर,

"पूजा सामग्री अर्थात:-

- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);
- (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);
- (iii) लकड़ी की खड़ाऊ;
- (iv) पंचामृत;
- (v) विभूति;
- (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
- (vii) दीये की बाती;
- (viii) रोली ;
- (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
- (x) चंदन टिका" पढ़ें;

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 686(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2025- संघराज्य कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 662(अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, में के,-

(i) पृष्ठ 57, पंक्ति 18 में, " रबर " के स्थान पर " इरेज़र" पढ़ें

(ii) पृष्ठ 59, पंक्ति 7 में, "पूजा सामग्री अर्थात:-, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊ; पंचामृत;,, विभूति;,,बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका" के स्थान पर,

"पूजा समागरी अर्थात:-

- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);
- (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);
- (iii) लकड़ी की खड़ाऊ;
- (iv) पंचामृत;
- (v) विभूति;
- (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
- (vii) दीये की बाती;
- (viii) रोली ;
- (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
- (x) चंदन टिका" पढ़ें;

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव